प्रसार भारती अधिनियम को लागू किया जाना

107. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च अधिकारियों के निहित स्वार्थों के कारण, सरकार संसद द्वारा पारित प्रसार भारती अधिनियम पर सहमति कर पाने की स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कौन-कौन से विषयों पर सहमत नहीं है;

(ग) अधिनियम में समाविष्ट उपबंधों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार प्रसार भारती अधिनियम के स्थान पर ऐसा ही कोई अन्य विधेयक लाने का विचार रखती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) विश्व के इस भाग में बढ़े हुए अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रसारण के कारण तेजी से बदलते हुए प्रसारण परिदृश्य के प्रकाश में निगम के प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ परिवर्तन न्याय संगत हैं । इस संबंध में ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

दूरदर्शन पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

108. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को दूरदर्शन पर अपने राज्य के प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन नियमित रूप से प्रसारित करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) किन-किन राज्यों के प्रस्ताव कब से विचाराधीन हैं और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार को दूरदर्शन से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के नियमित प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन का क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू एवं कश्मीर में उपलब्ध है ।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) हिंदी में एक दैनिक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन दूरदर्शन केंद्र, भोपाल द्वारा पहले से ही प्रसारित किया जा रहा है जो मध्य प्रदेश के संपूर्ण राज्य को कवर करता है ।

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन

109. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान दूरदर्शन से हुए प्रसारण के कुल समय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में से वाणिज्यिक विज्ञापनों को दिये गये कुल समय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापनों से अर्जित राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दूरदर्शन के वर्तमान खर्च में इन प्राप्तियों का प्रतिशत कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :—

अवधि	घंटे
1992–93	19419
1993–94	30588
1994–95 (जनवरी, 95 तक)	40003

(ख) वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा आबंटित नहीं की जाती है।

(ग) ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सकल राजस्व
1992–93	360.23
1993–94	372.98
1994–95 (अनुमानित)	380.00

(घ) ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :—

	(करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत
1992–93	629.55	57.22
1993–94	623.41	59.83
1994–95	732.89	51.84

(स्वीकृत बजट अनुदान)

सेंसर बोर्ड में नामांकन के लिए दिशा निर्देश

110. श्री आस मोहम्मद :
श्री टी० वेंकटराम रेड्डी :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नामित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हाल ही में सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें बोर्ड के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों को नामित करते समय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(च) कितने व्यक्तियों को बोर्ड में दो से भी अधिक कार्यकाल के लिए नामित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सामाजिक विज्ञान, विधि, कला आदि जैसे जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति जो, केन्द्र सरकार के विचार में, जनता पर फिल्मों के पड़ने वाले प्रभाव का निर्णय करने में योग्य हैं, उन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।